

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत **कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ़****जगदीश****बनाम****सरकार****कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 497-503 बीएनएसएस, 2023**किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं० **074** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी वाहन स्वामी जगदीश पिता बद्रीलाल (पारगी) भील निवीस तीसगांव थाना सादलपुर जिला धार (मध्य प्रदेश) की और से पुलिस थाना शम्भुपुरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 001/2023 दिनांक 03.01.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या MP 09 GH 2421 जिसके इंजन नंबर E424CDJB190148 चेचीस नंबर MC2F8LRC0JA138710 को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 बीएनएसएस, 2023 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शम्भुपुरा जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/2603 दिनांक 03.09.2025 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया। थानाधिकारी शम्भुपुरा से प्राप्त टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।</p> <p>न्यायालय हाजा में पुलिस थाना शम्भुपुरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 001/2023 दिनांक 03.01.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 के तहत अन्तर्गत धारा धारा 6'क' राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 के तहत लम्बित है जिसके तहत प्रकरण संख्या 010/2024(गौ-वंश) दर्ज होकर विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का निस्तारण मूल प्रकरण में ही किया जाना है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को मूल प्रकरण के साथ ही सुना जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण को मूल प्रकरण संख्या 010/2024(गौ-वंश) के साथ सुनवाई हेतु रखा गया।</p> <p>प्रकरण संख्या 010/2024(गौ-वंश) में पुलिस थाना शम्भुपुरा जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 001/2023 दिनांक 03.01.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन के संबंध में प्रार्थी जगदीश पिता बद्रीलाल (पारगी) भील निवीस तीसगांव थाना सादलपुर</p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>जिला धार (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 बीएनएसएस, 2023 जिसके 074/2024 (रे. वि.) को खारीज किया गया है एवं प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन <b>MP 09 GH 2421</b> जिसके इंजन नंबर <b>E424CDJB190148</b> चेचीस नंबर <b>MC2F8LRC0JA138710</b> को राजसात (<b>Confiscate</b>) करने के आदेश दिये जाकर जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बाद गुजरने मियाद अवधि के जब्तशुदा वाहन थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा से वाहन <b>MP 09 GH 2421</b> जिसके इंजन नंबर <b>E424CDJB190148</b> चेचीस नंबर <b>MC2F8LRC0JA138710</b> को राजसात (<b>Confiscate</b>) को प्राप्त कर नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी के निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराये जाने बाबत् आदेश दिये गये है, अतः प्रकरण संख्या 010/2024(गौ-वंश) अनवानी सरकार बनाम मोहम्मद हुसैन वगैराह निर्णय दिनांक 09.09.2025 अनुसार प्रार्थी प्रार्थना-पत्र खारीज इन्द्राज किया जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल प्रकरण संख्या 010/2024 (गौ-वंश) अनवानी सरकार बनाम मोहम्मद हुसैन वगैराह निर्णय दिनांक 09.09.2025 के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-S/d- (आलोक रंजन) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 09.09.2025</p> 	